

28/1/25

Not Proper

सिंह

क

पत्रावली के लिये, वकील काही आदिवासी/वकील  
 काही के बाद पर आगे की कार्यवाही नहीं  
 चलाने का निवेदन का मीट प्रैस किया/दित।  
 वकील काही के निवेदन अनुसार बाद मीट  
 प्रैस में खारिज किया जाता है। पत्रावली-  
 प्रैस का मीट ले का है।

सहायक कमिश्नर एवं  
 उपब्रिगड अधिकारी, भूपालनगर

